

जमाबंदी विवरण

हस्ताक्षर

बकावली पत्र हुई, तहसीलदार ओसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 138 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रोगजन कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्का में वन टू वन में पिंग किया जा रहा है जिसमें झलत जाया कि ग्राम तापू - खसरा नं. 10 जमाबंदी में स्का एक साथ जुमला दर्ज है जबकि मौक़े पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खासतौर पर भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल एक ही दस्तावेज़ के लिए नक्का में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी एवं संशोधन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।



**अप लण्ड अधिकारी**

सहायक जमाबंदी अधिकारी  
जमाबंदी विभाग, अजमेर

